रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062020-219874
CG-DL-E-10062020-219874

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142] नई दिल्ली, बुधवार, जून 10, 2020/ज्येष्ठ 20, 1942
No. 142] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 10, 2020/JYAISHTHA 20, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

(निवेश संवर्धन अनुभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 10 जून, 2020

सं. पी36017/144/2020-निवेश संवर्धन.— केंद्र सरकार भारत में निवेश के लिए निवेशकों को सहायता और सुविधा प्रदान करने और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए, निम्नलिखित संरचना के साथ 'सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह' (ईजीओएस) का गठन करती है।

क्रम सं.	पदनाम	ईजीओएस में स्थिति
1.	मंत्रिमंडल सचिव	अध्यक्ष
2.	सीईओ, नीति आयोग	सदस्य
3.	सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	सदस्य-संयोजक
4.	सचिव, वाणिज्य विभाग	सदस्य
5.	सचिव, राजस्व विभाग	सदस्य
6.	सचिव, आर्थिक कार्य विभाग	सदस्य
7.	सचिव, संबंधित विभाग	सह-चयनित किया जाएगा

2. सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) के निम्नलिखित कार्यकलाप होंगे:

(i) भारत में निवेश करने की क्षमता वाले सभी प्रमुख सेक्टरों और भौगोलिक स्थानों के संभावित निवेशकों/संगठनों की पहचान करना;

(ii) निवेश को बढ़ावा देने के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग को सिफारिशें देना और ऐसी सिफारिशों को लागू करने के लिए तत्काल कार्रवाई करना;

(iii) घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार के निवेशकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेक्टर-विशिष्ट और/या स्थान विशिष्ट प्रोत्साहन पैकेजों की सिफारिश करना, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, आरएंडडी और निर्यात क्षमता के उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश (एफडीआई सहित) आकर्षित करना;

(iv) औद्योगिक क्लस्टरों, भूमि-बैंकों, राज्यों और उन क्षेत्रों की पहचान करना जहाँ ऐसे निवेश किए जा सकते हैं;

(v) निवेशकों को सहायता प्रदान करना;

(vi) भारत में विनिर्माण के लिए भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम को बढ़ावा देना;

(vii) बड़े पैमाने पर विकास और आयात प्रतिस्थापन के लिए प्रमुख फ़ोकस-क्षेत्रों की पहचान करना;

(viii) निवेश संबंधी नीतियों, सुधारों और सहयोग तंत्र के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण;

(ix) ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में अधिक एफडीआई को आकर्षित करने के तरीकों की जांच करना और सुझाव देना;

(x) स्वदेशी खरीद के माध्यम से मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना;

(xi) सभी राज्यों और देशों में सर्वोत्तम निवेश प्रथाओं का अध्ययन करना और उपयुक्त प्रथाओं को अपनाने की सलाह देना;

(xii) बड़े निवेशकों और परियोजनाओं (सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं सहित) हेतु प्रतिस्पर्धा के लिए राज्यों हेतु चैलेंज रुट शुरु करने की निगरानी करना। ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस संकेतक, भूमि उपलब्धता और सामर्थ्य, राज्य बजट से प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि, आकर्षक भूमि नीति, नीति पूर्वानुमेयता, पिछड़े क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए दिए जा रहे विशेष पैकेज, मंजूरी की गति, आदि जैसे मानकों का उपयोग करते हुए निवेश आकर्षित करने के आधार पर राज्यों की रैंकिंग करना;

(xiii) निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों द्वारा उपयुक्त सहायता/प्रोत्साहन के लिए समुचित पाए जाने वाले अन्य सेक्टरों के माल के साथ-साथ मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में "सशक्त सेक्टरों में भारतीय वैश्विक चैंपियन सृजित करने" के लिए पीएमपी/प्रोत्साहन योजनाएं शुरु करना। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ: (i) नेटवर्क उत्पाद (कार्यालय मशीनें और स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग मशीनें, दूरसंचार और ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरण, विद्युत मशीनरी, सड़क पर चलने वाले वाहन, पेशेवर और वैज्ञानिक उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण) (ii) चिकित्सा उपकरण (iii) फार्मास्युटिकल ड्रग्स (iv) मानव निर्मित फाइबर (v) ऑटो (vi) टेक्सटाइल मशीनरी (vii) खाद्य प्रसंस्करण (viii) विद्युत मशीनरी सहित अन्य पूंजीगत सामान और अधिकार प्राप्त समूह द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कोई भी अन्य सेक्टर शामिल है;

(xiv) देश के मौजूदा विनिर्माण क्लस्टर्स को बढ़ावा देना जिसमें निवेश को सुकर बनाने के लिए तैयार अवसंरचना सहित उन्हें विश्व स्तरीय साझा अवसंरचना का निर्माण करने में सक्षम बनाने वाला निवेश शामिल है;

(xv) भारत में निवेश में तेजी लाने के लिए निवेशक-अनुकूल और व्यवसाय में सहायक परिवेश का निर्माण करना। स्टार्ट-अप सहित विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, अधिकार प्राप्त समूह आवश्यकतानुसार संबंधित विषय के विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकता है;

(xvi) समय-समय पर उत्पन्न होने वाली निवेश संबंधी किसी अन्य समस्या का समाधान।

3. संबंधित मंत्रालय/ विभाग, अधिकार प्राप्त समूह के निर्णयों/ सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए तत्काल कार्रवाई करेंगे। इस तंत्र के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले निवेश प्रस्तावों के कार्यान्वयन और अन्य कार्यों की जिम्मेदारी संगत मंत्रालयों/ विभागों की होगी। किसी मंत्रालय/ विभाग की ऐसी नीति जिससे निवेश वातावरण के प्रभावित होने की संभावना हो, उसे परामर्श हेतु अधिकार प्राप्त समूह के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

4. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ईजीओएस को सचिवालय संबंधी सहायता के प्रावधान करेगा।

सुमिता डावरा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)
(INVESTMENT PROMOTION SECTION)

ORDER

New Delhi, the 10th June, 2020

No. P 36017/144/2020-Investment Promotion.—The Central Government hereby constitutes an 'Empowered Group of Secretaries' (EGoS) with following composition to provide support and facilitation to investors for investing in India and to boost growth in key sectors of the economy.

Sl. No.	Designation	Status
1.	Cabinet Secretary	Chairperson
2.	CEO,NitiAayog	Member
3.	Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade	Member Convenor
4.	Secretary, Department of Commerce	Member
5.	Secretary, Department of Revenue	Member
6.	Secretary, Department of Economic Affairs	Member
7.	Secretary of Department concerned	To be co-opted

2. The Empowered Group of Secretaries (EGoS) shall have following terms of reference:

(i) Identify potential investors/organizations across key sectors and geographies with the capacity to invest in India;

(ii) Make recommendations to the Ministry / Department concerned, to promote investments and take immediate action to implement such recommendations;

(iii) Recommend sector-specific and/or geography specific incentive packages focusing on both domestic and foreign investors, attracting investment (including FDI) in areas of cutting edge technology, R&D, and high-priority sectors with export potential;

(iv) Identify Industrial clusters, land-banks, states and areas where these investments could be grounded;

(v) Facilitate handholding of investors;

(vi) Promoting joint ventures with Indian companies for manufacturing in India;

(vii) Identify key focus-sectors to drive development on a significant scale and import substitution;

(viii) Oversee implementation of investment-related policies, reforms, and support mechanisms;

(ix) Examine and suggest ways to attract more FDI in greenfield projects;

(x) Promoting Make in India through indigenous procurement;

(xi) Study best investment practices across States and Countries and recommend for suitable adoption;

(xii) Supervise opening-up challenge route for States to compete for marquee investors & projects (including public sector projects). Ranking of states on investment attractiveness using parameters such as Ease of Doing Business indicators, land availability and affordability, incentives that are being provided from State budget, attractive land policy, policy predictability, special packages being offered for promotion of backward areas, speed of clearances, etc.;

(xiii) Drive PMP / Incentive schemes for "Creating Indian Global Champions in Sectors of Strength" in areas such as mobile and electronics manufacturing along with goods of other sectors fit for suitable support/ incentives by the respective Ministries to encourage exports. These include: inter alia (i) Network Products (Office machines and automatic data processing machines, Telecommunication and sound recording equipment, Electrical machinery, Road vehicles, Professional and scientific equipment and photographic apparatus) (ii) Medical Devices (iii) Pharmaceutical Drugs (iv) Man-made fibre (v) Auto (vi) Textile machinery (vii) Food processing (viii) other capital goods including electrical machinery, and any other sectors decided by the Empowered Group;

(xiv) Provide boost to existing manufacturing clusters of the country with investments that enable them to create world class common infrastructure including plug-and-play, for facilitating investments;

(xv) Create an investment-friendly and business-conducive ecosystem to drive investment growth in India. Subject matter experts may be invited by the Empowered Group, as per need, to represent different sectors, including Start-ups;

(xvi) Address any other investment related issue that may arise from time to time.

3. The concerned Ministries/Departments shall take immediate action to implement the decisions/recommendations of the Empowered Group. Implementation of investment proposals and other actions emanating from the mechanism will be the responsibility of the relevant Ministry/Department. Any policy of a Ministry/Department likely to impact investment environment may be brought to the Empowered Group for consultation.

4. Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce & Industry, Government of India shall make provision for secretarial assistance to the EGoS.

SUMITA DAWRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2020.06.10 21:13:09 +05'30'